न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 48 /2018 जिला सीकर ।

1. सुरजी देवी पुत्री श्री मोहन लाल पत्नी श्री मदन लाल, जाति नाई, हाल निवासी दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र लालचन्द , जाति नाई, निवासी जेरठी, तहसील धोद, जिला सीकर ।
2. विष्णुकान्त पुत्र नन्द लाल
3. विकास पुत्र नन्द लाल
   जाति नाई, निवासी बीदसर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
4. सरकार जरिये तहसीलदार धोद, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 2.8.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री बी.एस.राठौड

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 2.8.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम जेरठी , तहसील धोद जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 2.36 हैक्टेयर, 478 रकबा 1.36 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.7200 में से 2.94 हैक्टेयर मे से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 204 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, 205 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, 206 रकबा 1.1900 हैक्टेयर, 207 रकबा 1.0900 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 3.3800 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा , 480 रकबा 8.0900 हैक्टेयर में से 1/5 में से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के पिता मोहन लाल के नाम अभिलिखित है । खातेदार मोहन लाल फौत हो चुका है जिसकी वंशावली के अनुसार उसकी बेवा लक्ष्मी देवी, पुत्री ग्यारसी व सुरजी देवी है जिनमें से बेवा लक्ष्मी देवी व पुत्री ग्यारसी देवी फौत हो चुकी है । इस प्रकार अपीलार्थी ही विवादित भूमि के खातेदार मोहन लाल की एकमात्र वारिस है जिसके द्वारा एक वाद उद्घोषणा का न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो निर्णय दिनांक 2.5.2017 द्वारा प्रकरण मूलरूप से स्वर्गीय मोहन लाल की विरासत के नामांतरकरण का होने से तथा वाद

उद्घोषणा का नहीं होने से खारिज किया गया तथा निर्देश दिये गये कि वादिया अपने पिता स्व. मोहन लाल की विरासत के नामांतरकरण के लिये तहसीलदार के पास नियमानुसार आवेदन कर सहायता प्राप्त करें । इस पर अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र विरासत के नामांतरकरण तस्दीक किये जाने बाबत तहसीलदार धोद जिला सीकर को प्रस्तुत किया गय।

अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धोद जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.8.2018 पारित कर ग्रम जेरठी स्थित आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 2.36, खसरा नम्बर 478 रकबा 1.36 कुल किता 2 रकबा 3.72 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 294, 204, 205, 206 व 207 कुल किता 4 रकबा 3.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 480 रकबा 8.09 हैक्टेयर में से स्व. मोहन लाल के नाम दर्ज आराजी का नामांतरकरण उसके दत्तक पुत्र कन्हैया लाल हिस्सा 1/3 व पुत्री सुरजी देवी हिस्सा 1/3 तथा स्व. ग्यारसी देवी के जायन्दा पुत्र विष्णुकान्त सैन व विकास सैन का हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर अमल दरामद किया जाना उचित एवं न्यायोचित मानते हुये हल्का पटवारी को उक्तानुसार पंजीबद्ध उपहार पत्र का नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये ।

अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार अपीलार्थी के पिता मोहन लाल थे जिसके विधिक वारिस विधवा पत्नी लक्ष्मी देवी व 2 पुत्रियॅा ग्यारसी देवी व सुरजी देवी थी जिनमें से विधवा लक्ष्मी देवी व पुत्री ग्यारसी देवी फौत हो चुकी है और अब केवल सुरजी देवी ही अपने पिता की पुत्री होने से विधिक वारिस है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोद ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने हकत्याग प्रलेख को कहीं भी स्वीकार नहीं किया । यदि हकत्याग स्वीकार किया जाता तो 1/3 हिस्सा जो हकत्यागकर्ताओं का था , उनके नाम नहीं हो सकता था क्योंकि उनके 1/3 भाग के अधिकार समाप्त हो गये थे । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कन्हैया लाल के पक्ष में मोहन लाल द्वारा किया गया गोदनामा फर्जी व कूटरचित है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजरन्दाज करते हुये निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । गोद हेतु हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि गोद हेतु गोद लेना व देना साबित करना आवश्यक है जो

कहीं साबित नहीं है । उनका कहना था कि गोदनामें पर किये गये हस्ताक्षरों में प्रथम दृष्टया फर्क है । कन्हैया लाल के पिता का नाम लालचन्द है और लालचन्द के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 825 दिनांक 5.12.2008 को स्वीकार हुआ है जिससे रेस्पोंडेन्ट का गोद जाना साबित नहीं है । उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 4.36 हैक्टेयर में मोहन लाल पुत्र नाराणा, भानाराम, सीताराम, सम्पत कुमार, कन्हैया लाल पुत्रान लालचन्द, मूली बेवा लालचन्द, मनोहरी पत्नी चतुर्भुज व रामदयाल पुत्र जगन्नाथ ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2008 को रजिस्टर्ड करवाया है । इससे भी प्रतीत होता है कि गोदनामा फर्जी व कूटरचित है । यदि रेस्पोंडेन्ट कन्हैया लाल वास्तव में मोहन लाल का गोद पुत्र है तो उसे सक्षम न्यायालय से गोद पुत्र की घोषणा करानी चाहिये । इस प्रकार अपीलार्थी ही अपने पिता की नैसर्गिक वारिस है ओर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति अपने नाम कराने की विधिक अधिकारिणी है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये व अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर ग्रम जेरठी स्थित आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 2.36, खसरा नम्बर 478 रकबा 1.36 कुल किता 2 रकबा 3.72 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 294, 204, 205, 206 व 207 कुल किता 4 रकबा 3.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 480 रकबा 8.09 हैक्टेयर में से स्व. मोहन लाल के नाम दर्ज आराजी का नामांतरकरण उसके दत्तक पुत्र कन्हैया लाल हिस्सा 1/3 व पुत्री सुरजी देवी हिस्सा 1/3 तथा स्व. ग्यारसी देवी के जायन्दा पुत्र विष्णुकान्त सैन व विकास सैन का हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर अमल दरामद किया जाना उचित एवं न्यायोचित मानते हुये हल्का पटवारी को उक्तानुसार पंजीबद्ध उपहार पत्र का नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये , जो विधि विरूद्ध होने व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें मुख्य रूप से उल्लेखित किया है कि अपीलान्ट ने यह तथ्य छिपाये हैं कि कन्हैया लाल जाईन्दा पुत्र लालचन्द को स्वर्गीय मोहन लाल द्वारा 11 साल की उम्र में ही अपनी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी देवी की सहमति से पुत्र संतान नहीं होने के कारण अपने भाई के पुत्र को समाज के मौजीत व्यक्तियों व रिश्तेदारों के समक्ष गोद लिया था । रेस्पोंडेन्ट कन्हैया लाल का नाम 1980 में ही बतौर पुत्र राशन कार्ड में दर्ज हो गया था तथा 1990 में कन्हैया लाल के पिता के रूप में दत्तक पिता का नाम शादी के कार्ड पर लिखवाया गया था । बिना किसी विवाद के निर्विवाद रूप से मोहन लाल एवं उसकी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी देवी का रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कन्हैया लाल गोद पुत्र रहा है । अपीलान्ट द्वारा गोदनामें को फर्जी बताये जाने से उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता । उनका कहना था अपीलान्ट ने स्वयं ने स्वीकार

किया है कि उसके मोहन लाल के एकमात्र वारिस होने का दावा सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर द्वारा खारिज कर दिया गया है और अपील भी राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2017 को खारिज की जा चुकी है । यह भी उल्लेखित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने के समय पत्रावली में दस्तावेज पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 28.5.2007 जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में निष्पादित हुआ है तथा ग्रम पंचायत जेरठी द्वारा पंजीबद्ध पट्टा विलेख जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में निष्पादित होने के साथ ही स्व. मोहन लाल की जाईन्दा पुत्री ग्यारसी देवी के पुत्र विष्णुकान्त सैन एवं विकास सैन द्वारा दिनांक 21.9.2011 को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग अपने हिस्से को अपने मामा कन्हैया लाल के हक में त्याग किया गया है तथा गोदनामें के गवाह महावीर एवं भानाराम के शपथ पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को देखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें 1/3 हिस्सा स्व. ग्यारसी देवी के वारिसान का वर्णित किया है उसके स्थान पर वह हिस्सा भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में दर्ज किये जाने का आदेश अपील में दिया जाना न्यायोचित है । अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.8.2018 में यह संशोधन किया जावे कि स्व. ग्यारसी देवी के पुत्रान द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र निष्पादन करवाये जाने से उक्त पुत्री का हिस्सा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाकर अपील का निस्तारण किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्यतः विवाद विवादित भूमि के खातेदार मोहन लाल की विरासत के नामांतरकरण का है । मृतक खातेदार मोहन लाल के वारिस उसकी विधिवा लक्ष्मी देवी एवं दो पुत्रियॉ ग्यारसी देवी व सुरजी देवी थी जिनमें से विधवा लक्ष्मी देवी व पुत्री ग्यारसी देवी फौत हो गई है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कन्हैया लाल को मृतक खातेदार मोहन लाल द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 28.5.2007 से गोद लिया था । चूंकि गोदनामा रजिस्टर्ड है जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है । मृतक खातेदार मोहन लाल की पुत्री ग्यारसी देवी के पुत्रों विष्णुकान्त सैन व विकास सैन ने विवादित भूमि में से अपने हिस्से का समोचन पत्र दिनांक 21.9.2011 को रेस्पोंडेन्ट कन्हैया लाल के हक में रजिस्टर्ड कराकर अपना हिस्सा रेस्पोंडेन्ट कन्हैया लाल को त्याग कर दिया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक मोहन लाल के वारिस अपीलान्ट सुरजी देवी पुत्री , दत्तक पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कन्हैया लाल व मृतक पुत्री ग्यारसी देवी के पुत्र विष्णुकान्त सैन व विकास सैन को मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.8.2018 पारित कर ग्रम जेरठी स्थित आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 2.36, खसरा नम्बर 478 रकबा 1.36 कुल किता 2 रकबा 3.72 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 294, 204, 205, 206 व 207 कुल किता 4 रकबा 3.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 480 रकबा 8.09 हैक्टेयर में से

स्व. मोहन लाल के नाम दर्ज आराजी का नामांतरकरण उसके दत्तक पुत्र कन्हैया लाल हिस्सा 1/3 व पुत्री सुरजी देवी हिस्सा 1/3 तथा स्व. ग्यारसी देवी के जायन्दा पुत्र विष्णुकान्त सैन व विकास सैन का हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर अमल दरामद किया जाना उचित एवं न्यायोचित मानते हुये हल्का पटवारी को उक्तानुसार पंजीबद्ध उपहार पत्र का नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । हम समझते हैं कि अपीलान्ट सुरजी विवादित भूमि में 1/3 हिस्से की ही हकदार है जो अपीलाधीन आदेश से उसे मिल चुका है । यदि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में किये गये रजिस्टर्ड गोदनामें से अपीलान्ट को कोई आपत्ति है तो वे उसे निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है । राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड गोदनामें की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझे हुये अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार धोद जिला सीकर दिनांक 2.8.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय दिनांक दिनांक 30.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर